बिहार सरकार,
कृषि विभाग।

पत्र संख्या– NHM/BHDS/76/2025–पी॰पी॰एम॰- 165- /कृ०, पटना, दिनांक-04.10.,2025

प्रेषक,

कल्पना कुमारी,
अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

सेवामें,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।
द्वारा : वित्त विभाग, बिहार, पटना। (+)

(+) अनौपचारिक रूप से परामर्शित।

विषय : **केन्द्र प्रायोजित योजना कृषि वानिकी (60:40) योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 हेतु कुल 328.50 लाख (तीन करोड़ अठाईस लाख पचास हजार) रूपये की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति।**

आदेश : **स्वीकृत।**

केन्द्र प्रायोजित योजना कृषि वानिकी (60:40) योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 हेतु कुल 328.50 लाख (तीन करोड़ अठाईस लाख पचास हजार) रूपये की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. इस योजना का मुख्य उद्देश्य नर्सरी के द्वारा कृषि वानिकी पौधा उत्पादन करना है, जिससे किसानों को सस्ते दर पर कृषि वानिकी पौध उपलब्ध कराते हुए कृषि वानिकी के लिए प्रोत्साहित कर इमारती एवं गैर इमारती लकड़ी एवं उत्पाद की पूर्ति कर अतिरिक्त आय को बढ़ाना है। इस योजना का कार्यान्वयन अनुसूची–1 से 4 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025–26 में कराया जायेगा।

इस योजना का घटकवार विवरणी निम्नवत् है :–

क) **Establishment of New Nurseries 50% Funding for Non Govt. Agencies/Farmers.**

इसके तहत मुख्य घटक निम्नवत् है :–

(i) Small Nursery – रकवा 0.5 हे०, अनुदान– 5.00 लाख रूपये हैं। इसके अन्तर्गत गैर सरकारी संस्थान या कृषक के 0.5 हे० रकवा के नर्सरी के लिए 5.00 लाख रूपये तक (50 प्रतिशत अनुदान) सहायतानुदान गम्हार, सेमल, मालाबार नीम एवं अन्य कृषि वानिकी पौध उत्पादन हेतु दिये जाने का प्रस्ताव है। गैर सरकारी नर्सरियों की संख्या अनुमानित नहीं होने के कारण गैर सरकारी नर्सरियों के स्थापना हेतु दिये जाने वाले अनुदान की राशि संबंधित जिला के मांग के अनुसार CFMS 2.0 के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।

(ii) Raising of Saplings in Existings nursery in Private Sector – पूर्व से संचालित नर्सरियों को अनुदान 2.5 लाख रूपये प्रति नर्सरी। इसके अन्तर्गत गैर सरकारी नर्सरियों जो पूर्व से संचालित/कार्यरत है, उन्हें कृषि वानिकी से संबंधित पौध उत्पादन यथा गम्हार, सेमल, मालाबार नीम एवं अन्य कृषि वानिकी पौध अन्तर्गत कम से कम 50000 पौध वार्षिक उत्पादन हेतु 2.50 लाख रूपये सहायतानुदान दिया जायेगा, जिसे संबंधित जिलों को मांग के अनुसार उपलब्ध करायी जायेगी।

ख) **Skill Development and Awareness Campaign**

इस घटक के अन्तर्गत कृषकों के क्षमतावर्द्धन एवं उनमें जागरूकता एवं विश्वास बढ़ाने हेतु वैसे स्थलों का परिभ्रमण कराया जायेगा, जहाँ सफलतापूर्वक पूर्व से ही कृषि वानिकी कार्य किया जा रहा है। इसके तहत होने वाले व्यय की राशि जिलों के मांग/आवश्यकता के अनुसार उपलब्ध करायी जायेगी।

ग) **Local Initiative**

इस मद का उपयोग योजना के प्रोत्साहन हेतु स्थानीय नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किया जाएगा। इसके तहत होने वाले व्यय की राशि जिलों के मांग/आवश्यकता के अनुसार उपलब्ध करायी जायेगी।

घ) **Contingency**

इस मद का उपयोग योजना के प्रभावी कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण में वित्तीय वर्ष 2025–26 में व्यय किया जायेगा। इसके तहत होने वाले व्यय की राशि जिलों के मांग/आवश्यकता के अनुसार उपलब्ध करायी जायेगी।

3. कृषि वानिकी योजना के क्रियान्वयन प्राईवेट सेक्टर में कुल 80 युनिट्स में किया जना है जिसमें प्रति युनिट 10 मानव दिवस रोजगार सृजन होने की संभावना है। इस प्रकार कुल 800 मानव दिवस रोजगार सृजन संभावित है।

4. भारत सरकार के मार्गदर्शिका के कंडिका 10.4 के तहत पट्टा धारकों को 90 प्रतिशत (केन्द्रांश एवं राज्यांश का अनुपात 60:40) अनुदान दिया जायेगा।

5. दिनांक 30.12.2024 को SLSC की बैठक में वित्तीय वर्ष 2025–26 हेतु राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत कृषि वानिकी के लिए केन्द्रांश मद में भारत सरकार से प्राप्त कुल 685.00 लाख रूपये के प्राप्त Allocation में से 340.00 लाख रूपये कम करते हुये कुल 345.00 लाख रूपये केन्द्रांश के आलोक में 125 प्रतिशत 719.00 लाख रूपये (केन्द्रांश एवं राज्यांश) (60:40) की स्वीकृति प्राप्त है। तदालोक में भारत सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के पत्रांक–1–4/2025–RKVY दिनांक–19.02.2025 द्वारा वित्तीय वर्ष 2025–26 हेतु प्राप्त कुल 718.75 लाख रूपये की स्वीकृति प्राप्त है। दिनांक 17.09.2025 को स्थायी वित्त समिति से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में केवल निजी क्षेत्र हेतु योजना का कार्यान्वयन किया जाना है।

6. प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (कृषि वानिकी) अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 में भारत सरकार से संसूचित उद्व्यय सामान्य जाति में 76.88 प्रतिशत, अनुसूचित जाति में 21.39 प्रतिशत एवं अनुसूचित जनजाति में 1.73 प्रतिशत है। उक्त अनुपात के अनुसार राशि का प्रावधान किया गया है।

7. वित्तीय वर्ष 2025–26 में बजट उपबंध में उपलब्ध केन्द्रांश एवं राज्यांश मद की राशि के अनुपात के अनुसार राशि की निकासी की जायेगी।

8. निदेशक उद्यान, उद्यान निदेशालय, बिहार, पटना द्वारा केन्द्रांश एवं समानुपातिक राज्यांश की आवंटित राशि को सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना के CFMS 2.0 लिंक्ड SNA SPARSH में संबंधित जिलों को अधिसीमा निर्धारित करेंगे, जिसे जिलों के सहायक निदेशक उद्यान/जिला उद्यान पदाधिकारी द्वारा CFMS 2.0 के माध्यम से राशि की निकासी एवं व्यय अनुसूची–III के अनुसार किया जायेगा।

9. योजना के क्रियान्वयन का नियमित पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण निदेशक उद्यान, बिहार, पटना द्वारा किया जायेगा।

10. योजना के सर्वोच्च नियंत्री पदाधिकारी निदेशक उद्यान, बिहार, पटना होंगे एवं निजी क्षेत्र के नर्सरियों के आवेदन के आलोक में आवश्यकतानुसार भौतिक लक्ष्य का परिवर्तन इनके द्वारा किया जा सकेगा।

11. योजना कार्यान्वयन के क्रम में प्रशासी विभाग द्वारा वित्तीय सीमा के अधीन यथासंभव परिवर्तन किया जा सकेगा।

12. योजना कार्य प्रारंभ करने के पूर्व तथा पश्चात् कार्य स्थलों की दो अलग–अलग जियोटैग फोटोग्राफ एवं स्थल जाँच प्रमाण–पत्र संबंधित जिला के जिला उद्यान कार्यालय में संधारित किया जायेगा। भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन ससमय विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।

13. योजना के क्रियान्वयन में यदि किसी प्रकार की अनियमितता होती है, तो क्रियान्वित करने वाले पदाधिकारियों की पूर्ण जिम्मेवारी होगी।

14. इस योजना में किये गये कार्यो की गुणवत्ता एवं भौतिक प्रगति की प्रविष्टि MIS पोर्टल में होने तथा क्रियान्वयन संबंधी प्रमाण–पत्र प्राप्त करने के उपरांत ही सक्षम प्राधिकार द्वारा राशि निर्गत की जायेगी।

15. जनसाधारण की जानकारी एवं पारदर्शिता के निमित्त योजना की विवरणी निर्धारित माप दण्ड के अनुसार कार्य स्थल पर सूचना पट्ट में प्रदर्शित किया जायेगा।

16. वित्त विभाग, बिहार के पत्रांक–2561 दिनांक–17.04.1998 तथा पत्रांक–ब०–15/बी०एस०जी०–57/25/–410 दिनांक 12.06.2025 का अनुपालन एवं निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी (सहायक निदेशक उद्यान/जिला उद्यान पदाधिकारी) द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा ।

17. योजना के कार्यान्वयन में बिहार वित्तीय नियमावली का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

18. योजना के क्रियान्वयन हेतु कार्यान्वय अनुदेश अलग से निर्गत किया जायेगा।

19. कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिए संधारित बैंक खाता में एवं लेखा का समुचित संधारण किया जायेगा। SNA SPARSH के माध्यम से राशि की निकासी एवं राशि का अंतरण किया जायेगा। कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा सहायतानुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र स्वीकृत्यादेश की तिथि से 18 माह के अन्दर महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना के कार्यालय को प्रेषित किया जायेगा एवं इसकी प्रति कृषि विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी। साथ ही बिहार वित्तीय नियमावली के अनुरूप अंकेक्षित लेखा विवरणी उपलब्ध कराने की भी अनिवार्यता होगी। महालेखाकार, बिहार को अंकेक्षण का अधिकार होगा।

20. इस राशि की निकासी निम्नांकित मुख्य शीर्ष/उप शीर्ष के अन्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025–26 में प्रावधानित राशि में से की जायेगी :–

(राशि लाख रूपये में)

बजट शीर्ष	उपबंधित राशि	स्वीकृत राशि
केन्द्रांश		
मुख्य शीर्ष – 2401 फसल कृषि कर्म, मांग सं०–01, उपमुख्य शीर्ष – 00, लघु शीर्ष 109 – विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण, उप शीर्ष 0220– राष्ट्रीय कृषि वानिकी मिशन (राष्ट्रीय कृषि विकास योजना), विपत्र कोड – 01-2401-00-109-0220, विषय शीर्ष – 3106– सहायक अनुदान–गैर वेतन	469.86	252.55
मुख्य शीर्ष – 2401 फसल कृषि कर्म, मांग सं०–01, उपमुख्य शीर्ष – 00, लघु शीर्ष 789 – अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष 0263– राष्ट्रीय कृषि वानिकी मिशन (राष्ट्रीय कृषि विकास योजना), विपत्र कोड – 01-2401-00-789-0263, विषय शीर्ष – 3106– सहायक अनुदान–गैर वेतन	97.83	70.27
मुख्य शीर्ष – 2401 फसल कृषि कर्म, मांग सं०–01, उपमुख्य शीर्ष – 00, लघु शीर्ष 796 – जनजातीय क्षेत्र उप योजना, उप शीर्ष 0276– राष्ट्रीय कृषि वानिकी मिशन (राष्ट्रीय कृषि विकास योजना), विपत्र कोड – 01-2401-00-796-0276, विषय शीर्ष – 3106– सहायक अनुदान–गैर वेतन	7.27	5.68
योग	**574.96**	**328.50**

21. वित्त विभाग के संकल्प संख्या–12888 दिनांक–03.12.2024 एवं पत्रांक–201 दिनांक–13.03.2025 में निहित प्रावधान के आलोक में योजना प्रस्ताव पर प्रधान सचिव, कृषि के अध्यक्षता में दिनांक–26.09.2025 को आयोजित विभागीय स्थायी वित्त समिति की बैठक में अनुशंसा प्राप्त है। योजना प्रस्ताव एवं स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर प्रधान सचिव, कृषि का अनुमोदन संचिका संख्या–NHM/BHDS/76/2025– के पृष्ठ संख्या–40/टि० पर दिनांक–04.10.2025 को प्राप्त है।

22. वित्त विभागीय परिपत्र संख्या–7355 वि० (2) दिनांक 05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

23. स्वीकृत्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–NHM/BHDS/76/2025– के पृष्ठ संख्या–40/टि० पर दिनांक–03.10.2025 को प्राप्त है, जिसका डायरी संख्या–783 दिनांक–03.10.2025 है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(कल्पना कुमारी)
अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– NHM/BHDS/76/2025-पी०पी०एम०-165-/पटना दिनांक-04.10.2025

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, अंकेक्षण, महालेखाकार (ले० एवं ह०) कार्यालय, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– NHM/BHDS/76/2025-पी०पी०एम०-165-/पटना दिनांक-04.10.2025

प्रतिलिपि : योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– NHM/BHDS/76/2025-पी०पी०एम०-165-/पटना दिनांक-04.10.2025

प्रतिलिपि : सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– NHM/BHDS/76/2025-पी०पी०एम०-165-/पटना दिनांक-04.10.2025

प्रतिलिपि : सचिवालय कोषागार पदाधिकारी, विकास भवन, पटना/सभी जिला कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– NHM/BHDS/76/2025 - पी०पी०एम० - 165 - /पटना दिनांक - 04.10.2025

प्रतिलिपि : माननीय कृषि मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, कृषि के आप्त सचिव/कृषि निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक उद्यान, बिहार, पटना/मिशन निदेशक, राज्य बागवानी मिशन, बिहार, पटना/निदेशक, पी०पी०एम०, कृषि विभाग, बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक उद्यान/सभी जिला उद्यान पदाधिकारी/मुख्यालय स्थित सभी पदाधिकारीगण/बजट एवं योजना शाखा (सचिवालय एवं निदेशालय) कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– NHM/BHDS/76/2025 - पी०पी०एम० - 165 - /पटना दिनांक - 04.10.2025

प्रतिलिपि : उप निदेशक (शष्य), सूचना, बिहार, पटना/आई०टी० मैनेजर, कृषि विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर डालने एवं संबंधित पदाधिकारियों एवं कोषागार पदाधिकारी को ई–मेल से भेजने हेतु प्रेषित।

अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

D:\Surya 2025-26\Amit Kumar\Sanction order\Baniki 2025-26.doc

Annexure-I

AGRO FORESTRY

ANNUAL ACTION PLAN 2025-26

State : Bihar Implementing Department/Agency : Directorate of Horticulture, Agriculture Department, Bihar

Details of interventions/activity wise projection (Rs. In Lakh)

S. No.	Component/Activities/Sub-component	Number/Units/	Admissible Cost Norms (In Rs. Lakh)	Total (Cost)	Admissible cost under the scheme	Beneficiaries Share (In Rs Lakh)	Admissible Amount (Rs. In Lakh)		
							Admissible Amout under The Scheme	Central Share	State Share
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A.	**Establishment of new nurseries**								
50 % Funding (Central Share+State Share)+50% Non Govt. Beneficiary Share									
i	Small Nurseries	40	10.00	400.00	200.00	200.00	200.00	120.00	80.00
ii	Big Nurseries		16.00						
iii	Hi -Tech Nurseries		50.00						
iv	Raising of saplings in the existing nursery	40	5.00	200.00	100.00	100.00	100.00	60.00	40.00
v	Strengthening of existing tissue culture units		20.00						
vi	Establishment of New tissue culture units		200.00						
	Sub Total	**80**		**600.00**	**300.00**	**300.00**	**300.00**	**180.00**	**120.00**
B.	**Skill development and awareness campaign (Central + State Share)**								
i	Skill development and awareness campaign		5% of AAP	30.00	15.00	0.00	15.00	9.00	6.00
ii	Research & Development		Project based						
iii	Monitoring & Evaluation and Other specialized technical works		Project based						
iv	Local Initiatives		Up to 2 % of AAP	12.00	6.00	0.00	6.00	3.60	2.40
v	Contigency		Up to 2.5 % of AAP	15.00	7.50	0.00	7.50	4.50	3.00
	Sub Total			**57.00**	**28.50**	**0.00**	**28.50**	**17.10**	**11.40**
	Grand Total			**657.00**	**328.50**	**300.00**	**328.50**	**197.10**	**131.40**

(अभिषेक कुमार)

Annexure-II

AAP 2025-26 under Agro Forestry

Sl. No.	District Name	Extablishment of new nurseries for Non Govt. Beneficiary (50% subsidy)				Skill Development and awareness campaigh				Total Financial Target (In lakh)
		Phy Target for small Naurseries (No./Units)	Financial Target (Lakh)	Phy Target for Raising of sapling in the exisiting nursery (No./Unit)	Financial Target (Lakh)	Skill Develpoment and awareness campaigh	Financial Target (In lakh)	Financial Target for Local Inititiatives (In lakh)	Financial Target for Configency (In lakh)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ARARIA	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2	ARWAL	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
3	AURANGABAD	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
4	BANKA	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
5	BEGUSARAI	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
6	BHAGALPUR	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
7	BHOJPUR	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
8	BUXAR	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
9	DARBHANGA	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
10	E. CHAMPARAN	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
11	GAYA	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
12	GOPALGANJ	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
13	JAMUI	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
14	JEHANABAD	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
15	KAIMUR	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
16	KATIHAR	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
17	KHAGARIA	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
18	KISHANGANJ	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
19	LAKHISARAI	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
20	MADHEPURA	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
21	MADHUBANI	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
22	MUNGER	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
23	MUZAFFARPUR	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
24	NALANDA	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
25	NAWADA	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
26	PATNA	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
27	PURNIA	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
28	ROHTAS	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
29	SAHARSA	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
30	SAMASTIPUR	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
31	SARAN	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
32	SEOHAR	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
33	SHEIKHPURA	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
34	SITAMARHI	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
35	SIWAN	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
36	SUPAUL	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
37	VAISHALI	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
38	W. CHAMPARAN	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
39	Directorate of Horticulture	40	200.0000	40	100.0000	15	15.0000	6.0000	7.5000	328.5000
Total :		**40**	**200.0000**	**40**	**100.0000**	**15**	**15.0000**	**6.0000**	**7.5000**	**328.5000**

(अभिषेक कुमार)

Annexure-III

Category & District wise AAP under Agro Forestry (2025-26)

Rs. In lakh

Sl. No.	DDO Name	Total Financial Target	General	SC	ST
1	Assistant Director Horticulture, ARARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Assistant Director Horticulture, ARWAL	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Assistant Director Horticulture, AURANGABAD	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Assistant Director Horticulture, BANKA	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Assistant Director Horticulture, BEGUSARAI	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Assistant Director Horticulture, BHAGALPUR	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Assistant Director Horticulture, BHOJPUR	0.00	0.00	0.00	0.00
8	Assistant Director Horticulture, BUXAR	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Assistant Director Horticulture, DARBHANGA	0.00	0.00	0.00	0.00
10	Assistant Director Horticulture, E. CHAMPARAN	0.00	0.00	0.00	0.00
11	Assistant Director Horticulture, GAYA	0.00	0.00	0.00	0.00
12	Assistant Director Horticulture, GOPALGANJ	0.00	0.00	0.00	0.00
13	Assistant Director Horticulture, JAMUI	0.00	0.00	0.00	0.00
14	Assistant Director Horticulture, JEHANABAD	0.00	0.00	0.00	0.00
15	Assistant Director Horticulture, KAIMUR	0.00	0.00	0.00	0.00
16	Assistant Director Horticulture, KATIHAR	0.00	0.00	0.00	0.00
17	Assistant Director Horticulture, KHAGARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
18	Assistant Director Horticulture, KISHANGANJ	0.00	0.00	0.00	0.00
19	Assistant Director Horticulture, LAKHISARAI	0.00	0.00	0.00	0.00
20	Assistant Director Horticulture, MADHEPURA	0.00	0.00	0.00	0.00
21	Assistant Director Horticulture, MADHUBANI	0.00	0.00	0.00	0.00
22	Assistant Director Horticulture, MUNGER	0.00	0.00	0.00	0.00
23	Assistant Director Horticulture, MUZAFFARPUR	0.00	0.00	0.00	0.00
24	Assistant Director Horticulture, NALANDA	0.00	0.00	0.00	0.00
25	Assistant Director Horticulture, NAWADA	0.00	0.00	0.00	0.00
26	Assistant Director Horticulture, PATNA	0.00	0.00	0.00	0.00
27	Assistant Director Horticulture, PURNIA	0.00	0.00	0.00	0.00
28	Assistant Director Horticulture, ROHTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
29	Assistant Director Horticulture, SAHARSA	0.00	0.00	0.00	0.00
30	Assistant Director Horticulture, SAMASTIPUR	0.00	0.00	0.00	0.00
31	Assistant Director Horticulture, SARAN	0.00	0.00	0.00	0.00
32	Assistant Director Horticulture, SEOHAR	0.00	0.00	0.00	0.00
33	Assistant Director Horticulture, SHEIKHPURA	0.00	0.00	0.00	0.00
34	Assistant Director Horticulture, SITAMARHI	0.00	0.00	0.00	0.00
35	Assistant Director Horticulture, SIWAN	0.00	0.00	0.00	0.00
36	Assistant Director Horticulture, SUPAUL	0.00	0.00	0.00	0.00
37	Assistant Director Horticulture, VAISHALI	0.00	0.00	0.00	0.00
38	Assistant Director Horticulture, W. CHAMPARAN	0.00	0.00	0.00	0.00
39	Directorate of Horticulture, Bihar, Patna	328.50	252.55	70.27	5.68
Total :		**328.50**	**252.55**	**70.27**	**5.68**

(अभिषेक कुमार)

Annexure – IV

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के तहत पट्टा वितरण की विवरणी :–

क्र० सं०	जिला	पट्टा वितरण
1	गया	22
2	जमुई	20
3	बांका	11
4	रोहतास	43
5	प० चम्पारण	95
कुल :–		**191**

नोट :– भारत सरकार के मार्गदर्शिका के कंडिका 10.4 के तहत पट्टा धारकों को 90 प्रतिशत अनुदान देने हेतु निदेशित किया गया है।

(अभिषेक कुमार)